

लोक सुनवाई का विवरण

विषय:- ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार श्री राजेश शर्मा, क्वार्टर्जार्ड स्टोन माईन, ग्राम पंचायत बिरकोल, ग्राम-बिरकोल, तहसील-सराईपाली, जिला-महासमुंद (छ0ग0) द्वारा क्वार्टर्जार्ड स्टोन माईन उत्खनन क्षमता 95,938 टन/वर्ष, खसरा नं. 892, लीज एरिया 12.540 हेक्टेयर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 23.06.2017 को आयोजित लोक सुनवाई का विवरण ।

श्री राजेश शर्मा, क्वार्टर्जार्ड स्टोन माईन, ग्राम पंचायत बिरकोल, ग्राम-बिरकोल, तहसील-सराईपाली, जिला-महासमुंद (छ0ग0) द्वारा क्वार्टर्जार्ड स्टोन माईन उत्खनन क्षमता 95,938 टन/वर्ष, खसरा नं 892, लीज एरिया 12.540 हेक्टेयर हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करने के लिये लोक सुनवाई कराने बाबत छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मण्डल में आवेदन किया गया । दैनिक भास्कर तथा हिन्दुस्तान टाइम्स (दिल्ली संस्करण) समाचार पत्र में लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित कर दिनांक 23/06/2017 दिन शुक्रवार को समय दोपहर 01:00 बजे से परियोजना स्थल, ग्राम बिरकोल के ग्राम पंचायत भवन में सुनवाई नियत की गई, जिसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत को प्रेषित की गई ।

प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत दिनांक 23/06/2017 को अपर कलेक्टर महासमुंद श्री ओंकार यदु, जिला महासमुंद की अध्यक्षता में लोक सुनवाई सम्पन्न हुई । लोक सुनवाई के दौरान डॉ0 एस.के. उपाध्याय क्षेत्रीय अधिकारी, श्री श्रवण कुमार टंडन एस.डी.एम. उद्योग प्रतिनिधि श्री राजेश शर्मा, पर्यावरण सलाहकार डॉ0 शेखर उपाध्याय, पूर्व विधायक सराईपाली श्री त्रिलोक पटेल, ग्राम पंचायत के माननीय सरपंच गांवों के किसान आदि लगभग पचास जनसामान्य उपस्थित थे। लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :-

1. लोक सुनवाई दोपहर 01:32 बजे प्रारंभ की गई ।
2. सर्वप्रथम उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया आरंभ की गई। जिन लोगों ने उपस्थित पत्रक पर हस्ताक्षर किये हैं, उनकी सूची संलग्नक-2 अनुसार है।
3. क्षेत्रीय अधिकारी डॉ0 एस.के. उपाध्याय ने प्रस्तावित परियोजना की लोक सुनवाई के संबंध में जानकारी देते हुये अपर कलेक्टर महोदय से जन सुनवाई प्रारंभ करने का निवेदन किया ।
4. अपर कलेक्टर श्री ओंकार यदु ने प्रस्तावित परियोजना हेतु लोक सुनवाई आरंभ करने की घोषणा की तथा परियोजना प्रस्तावक को परियोजना के संबंध में विवरण देने हेतु निर्देशित किया ।
5. उद्योग प्रतिनिधि डॉ0 शेखर उपाध्याय ने परियोजना के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया गया । श्री उपाध्याय ने बताया कि प्रस्तावित परियोजना अंतर्गत क्वार्टर्जार्ड खदान का क्षेत्रफल 12.540 हेक्टेयर है। इस परियोजना में खनन ओपन कॉस्ट अर्ध यांत्रिकी पद्धति द्वारा किया जायेगा। जिसमें अधिकतम उत्पादन क्षमता 95,938 टन/वर्ष है और परियोजना की अनुमानित लागत 25 लाख रुपये है। प्रस्तावित खनन क्षेत्र 10 साल की अवधि के लिये पट्टे के रूप में प्रस्तावक को प्रदान किया गया है। उन्होंने परियोजना की बुनियादी जानकारी, भौगोलिक स्थिति, खनन पट्टा की स्थिति, खनन प्रक्रिया, जनशक्ति नियोजन, दैनिक जल उपभोग की मात्रा, खनन पट्टा क्षेत्र में भूमि उपयोग एवं संरचना तथा परियोजना क्षेत्र अंतर्गत किये गये आधारभूत अध्ययन में वायु गुणवत्ता, ध्वनि स्तर, मृदा गुणवत्ता, भू-जल गुणवत्ता, सतही जल गुणवत्ता तथा सामाजिक संरचना के संबंध में संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव और न्यूनीकरण के उपायों के संबंध में जानकारी दी । परियोजना क्षेत्र में जीव जन्तुओं पर पड़ने वाले प्रभाव तथा न्यूनीकरण के उपायों के बारे में जानकारी दी गई। व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा परियोजना से सामाजिक लाभ, सीएसआर कार्यान्वयन अंतर्गत सामाजिक जिम्मेदारी तथा पर्यावरण संरक्षा हेतु बजट आदि के संबंध में भी जानकारी दी गई ।

6. क्षेत्रीय अधिकारी डॉ० एस.के. उपाध्याय ने जनसामान्य से इस परियोजना से संबंधित अपना विचार रखने, तथा इस संबंध में राय तथा जनसामान्य के लिखित एवं मौखिक सुझाव एवं आपत्ति आमंत्रित की तथा आश्वस्त किया कि जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी हो रही है। तत्पश्चात उपस्थित लोगों द्वारा उनके विचार व्यक्त करने की प्रक्रिया आरंभ की गई। विवरण निम्नानुसार है

क.	आवेदक का नाम एवं पता	आवेदक से प्राप्त किये गये महत्वपूर्ण मुद्दे	खनन प्रबंधन द्वारा दिये गये उत्तर
1.	श्री विष्णु शंकर बरिहा ग्राम बिरकोल, श्री विष्णु शंकर बरिहा ग्राम बिरकोल	मेरा खेत खसरा क्रमांक 892 से लगा हुआ है। खनन से मेरे खेत को नुकसान होगा। मैं छोटा कृषक हूँ मेरा भरण-पोषण इसी खेत से होता है। निराकरण न होने तक खनन स्थगित रखा जाय। ठीक है।	खदान प्रबंधन की अनुमति से डॉ० शेखर उपाध्याय ने कहा कि खनन कार्य से आसपास के खेतों को कोई हानि नहीं होगी क्योंकि खनिज को पूरी तरह से ढक कर ही ले जाया जाएगा, अगर किसी भी प्रकार की हानि होगी तो हमारे द्वारा उसका समाधान तत्काल किया जावेगा।
2	श्री तुलसी प्रसाद पटेल ग्राम बिरकोल	आप लोग जब निर्णय कर ही चुके हैं, तो इस जनसुनवाई का क्या औचित्य है ? हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है ? इसी गांव की एक अन्य खदान सुशीला माइनिंग के द्वारा परियोजना में बताया गया कोई भी कार्य नहीं किया गया है न रोजगार दिया गया और न ही वृक्षारोपण किया गया है। ग्राम पंचायत के द्वारा बार-बार प्रस्ताव पास किया गया है कि हमें खदान नहीं देना है। गांव वालों ने किसी भी परियोजना के लिये स्वीकृति नहीं दी है। फिर भी कैसे ग्राम पंचायत से स्वीकृति मिल जाती है ? हम लोग नहीं जानते हैं ? पिछले 20 वर्षों का रिकार्ड देख ले कभी भी किसी खदान को स्वीकृति नहीं दी गई है। इस परियोजना से गांव वालों को क्या फायदा है। इन्होंने गांव में पहले ही फुट डाला है ये कोई काम नहीं करेंगे। इनको खदान नहीं दी जावे। एक ही खदान से गांव में गर्मी बढ़ गई है। गांव वालों से पूछों सुशीला माइनिंग से क्या फायदा हुआ है ? किसी को कोई रोजगार नहीं मिला है। किसी को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिला है। खदान नहीं दिया जाना चाहिए और अगर खदान के लिये आपने स्वीकृति दे दी है। तो इस जनसुनवाई का क्या औचित्य है ? और यदि स्वीकृति नहीं दी है तो इसे रोक दीजिए।	खदान प्रबंधन की अनुमति से डॉ० शेखर उपाध्याय ने कहा कि ई.आई.ए. 2006 के प्रावधानों के अनुसार यह लोक सुनवाई की जा रही है। तथा अंतिम निर्णय स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी (SEIAA) का होता है। अन्य खदान से हमारी खदान की तुलना करना उचित नहीं है। पर्यावरण प्रबंधन के द्वारा योजना का पूरी तरह से पालन किया जावेगा। मजदूरों को सुरक्षा उपकरण प्रदान किया जावेगा। भविष्य में यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी पर्यावरणीय नियम का उल्लंघन किया जाता है तो कोई भी ग्रामीण इसकी सूचना राज्य प्रदूषण नियंत्रण निकाय को लिखित रूप में दे सकता है। जिस पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण निकाय के द्वारा उचित कार्यवाही की जावेगी।
3	श्री मनोहर सोनी ग्राम बिरकोल	मेरा निवेदन है, कि एक खदान को अनुमति मिल चुकी है, दूसरी खदान को भी अनुमति मिलने से गांव का विकास होगा ग्रामवासियों को रोजगार मिलेगा इनको अनुमति मिलना ही चाहिए	धन्यवाद

4	श्री तुलसी प्रसाद पटेल ग्राम बिरकोल	खदान के लिये 12 हेक्टेयर शासकीय जमीन दी जा रही है, इसमें से कितने क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जावेगा ? सड़क के किनारे, खदान के पास पहले से जामुन के पेड़ लगे हुए हैं। खदान के कारण पहले से लगे हुए वृक्षों को गांव वाले बेच रहे हैं, या काट रहे हैं कि यह पेड़ भी खदान की सीमा में न आ जावे। गांव में पहले से कार्यरत सुशीला माइनिंग के द्वारा पिछले 4-5 माह से मजदूरों का भुगतान नहीं किया गया है। यहां सभी लोग सुशीला माइनिंग की वजह से पीड़ित बैठे हैं। चाहे इनके हाथ उठाकर पूछ ले खदान के लिये हमारी स्वीकृति नहीं है। बाकी आप लोग जाने।	खदान प्रबंधन की अनुमति से डॉ० शेखर उपाध्याय ने कहा कि खदान में 7.50 मीटर की सुरक्षा पट्टी में तथा मालवाहक सड़क के दोनों तरफ और फलदार वृक्षों का रोपण किया जावेगा एवं उनकी सुरक्षा भी की जावेगी भारत सरकार द्वारा बनाये गये नियम सबके लिए बराबर हैं। शासन द्वारा निगरानी की पूर्ण व्यवस्था है। हमारे द्वारा दो वर्षों के अंदर खदान के चारों ओर फलदार वृक्षों का वृक्षारोपण किया जावेगा। हम नियमों का पालन करने हेतु वचनबद्ध हैं। हम किसी अन्य खदान के बारे में नहीं कह सकते परन्तु हमारे द्वारा श्रमिकों का भुगतान समय पर हर सप्ताह किया जावेगा।
5	श्री रामकुमार बरिहा, ग्राम बिरकोल	मैं सुशीला माइनिंग कि खदान में काम किया हूँ पिछले 6 महीने से भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे कंपनी को मंजूरी नहीं दिया जाय। जब उनके पास पैसा नहीं है तो ऐसे कंपनी को ठेका नहीं दिया जाये।	परियोजना प्रस्तावक श्री राजेश शर्मा ने कहा कि हमारे द्वारा हर सप्ताह मजदूरों को समय पर भुगतान किया जावेगा, हमारे द्वारा किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी।
6	ग्रामवासी ग्राम बिरकोल	सुशीला माइनिंग ने भी हर सप्ताह भुगतान का वादा किया था लेकिन भुगतान नहीं किया जा रहा है।	परियोजना प्रस्तावक श्री राजेश शर्मा ने कहा कि हमारे द्वारा हर सप्ताह मजदूरों को भुगतान किया जावेगा, हमारे द्वारा किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी।
7	श्री लेख निरंजन ग्राम बिरकोल	आप ये तीनों ये माइंस लगा लो, हमारी खेती ले लो और गांव वालों को भगा दो।	

8. लिखित अभ्यावेदन :-

(1) ग्रामीण एवं कृषकगण के द्वारा ग्राम पंचायत बिरकोल के आबादी जंगल जो कि आदिवासी एवं हरिजन कृषकों के खेतों से लगा हुआ है, यदि उक्त जंगल को माइनिंग विभाग द्वारा ठेका में दिया जाता है तो किसानों का खेत बरबाद होगा एवं जंगल का ठेका निरस्त कर यहाँ के कृषक मजदूरों को राहत दिया जावे एवं किसी भी सुरत में ठेका नहीं दिया जावे।

(2) मैं विष्णुशंकर बरिहा आत्मज श्री जगत राम बरिहा ग्राम बिरकोल का कृषक हूँ जो कि मेरा जमीन खसरा नम्बर 892 से लगा हुआ है जो कि खनिज उत्खन्न से मेरा खेत का फसल नुक्सान होगा अतः महोदय से निवेदन है कि इसका निराकरण न होने तक स्थगित किया जावे।

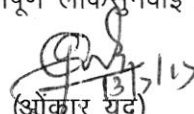
(3) मैं रमूला चौहान पति मीनिकेतन निवासी बिरकोल की कृषक हूँ जो कि मेरा जमीन 892 से लगा हुआ है जो खनिज उत्खन्न से मेरा फसल नुक्सान होगा। अतः महोदय से निवेदन है कि इसका निराकरण न होने तक पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई स्थगित किया जाय।

(4) मैं श्याम लाल चौहान ग्राम बिरकोल का कृषक हूँ जो कि मेरा जमीन खसरा नम्बर 892 से लगा हुआ है जो कि खनिज उत्खन्न से मेरा खेत का फसल नुक्सान होगा अतः महोदय से निवेदन है कि इसका निराकरण न होने तक स्थगित किया जावे।

(5) मैं मकरध्वज वल्द कृपा राम ग्राम बिरकोल का कृषक हूँ जो कि मेरा जमीन खसरा नम्बर 892 से लगा हुआ है जो कि खनिज उत्खन्न से मेरा खेत का फसल नुक्सान होगा अतः महोदय से निवेदन है कि इसका निराकरण न होने तक स्थगित किया जावे।

अंत में अपर कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार क्षेत्रीय अधिकारी डॉ० एस.के. उपाध्याय ने जनसुनवाई की कार्यवाही समाप्ती की घोषणा की।

यह लोक सुनवाई दोपहर लगभग 01:32 बजे प्रारंभ होकर दोपहर लगभग 02:30 बजे सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान कुल 05 अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं जो संलग्नक 01 के अनुसार है, संपूर्ण लोकसुनवाई की विडियोग्राफी की गई।


(अनुराग यदु)
अपर कलेक्टर
जिला महासमुंद (छ०ग०)